न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 48/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हंजारीराम पुत्र नगाराम जाति माली निवासी मालियो का गोलिया, तहसील सांचौर जिला–जालोर		1. जेठाराम पुत्र हिमताराम 2. हरचंदराम पुत्र जेठाराम 3. रूगनाथ पुत्र जेठाराम 4. नरसीराम पुत्र हिमताराम 5. हुकमाराम पुत्र हिमताराम 6. बुधाराम पुत्र हिमताराम 7. मोहनलाल पुत्र हिमताराम 8. मोहनलाल पुत्र हिमताराम जातियान माली निवासीगण –मालियों का गोलिया तह. सांचौर

दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. **वादी अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया।**
2. **प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 8 एकपक्षीय।**
3. **प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री जयप्रकाश विश्नोई।**

निर्णय

दिनांक 22.01.2025

पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी मौजा मालियों का गोलिया का गोलिया, पटवार क्षेत्र आकोली के खसरा संख्या 962/774 रकबा 0.37 हैक्टेयर भूमि वादी के बंट, हिस्से की आराजी है। जिस पर वादी का लगातार कब्जा काश्त आ रहा है। जिस पर प्रतिवादीगण किसी तरह की दखलदांजी न ही करे व न ही अन्य किसी से करावे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे व साथ प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी पर 0.07 हैक्टेयर आराजी पर जबरन प्रवेश कर पक्का मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया है। जिसे प्रतिवादीगण के खर्चे पर हटाया जाने का आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का भली–भांति अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी मौजा मालियों का गोलिया के खसरा नंबर 962/774 रकबा 0.37 हैक्टेयर [illegible] न्यायालय हाजा के वाद संख्या 135/14 निर्णय दिनांक 18.11.15 के अनुसार प्र[illegible] हुई [illegible] जिसमें वादी को धारा 188 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त हो रखी है। [illegible] नहीं होने से प्रतिवादीगण द्वारा वादी के हिस्से की 0.07 हैक्टेयर [illegible] अतिक्रमण कर निर्माण किया [illegible] है। जिसे हटाया जान न्यायसंगत व उचित प्रतीत होता है। [illegible] स्थिति में वादी का वा[illegible] 183 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेषित किया जाता है कि वादी की आराजी 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:07:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

07 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमण हटाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द करावे। वादी व प्रतिवादीगण एवं न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण 135/14 में जारी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहेगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर
सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:07:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner